

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 2967 / न्या.लिपिक / कोरोना सेल / 2020
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 30 / मार्च / 2020

पुलिस अधीक्षक
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सुरक्षा हेतु गनमैन उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ :- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) का पत्र क्रमांक / 793 / अ.वि.अ. / वाचक-4 / 2020, दिनांक 26.03.2020

—00—

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा नोवेल कोरोना (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक / 2857 / न्या.लि. / 2020, दिनांक 19.03.2020 के तहत धारा 144 लागू किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ द्वारा गश्त के दौरान नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के पार्षद अमित तिवारी को समझाईश देने के संबंध में दिनांक 24.03.2020 को फोन कर रात्रि समय 08:00 बजे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के आवास आये एवं उग्र तथा धमकी भरे शब्दों में बात किया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के बंगले में परिवार सहित निवासरत हैं तथा उन्हें दो होमगार्ड की सुविधा उपलब्ध है जिसमें एक समय में एक ही होमगार्ड साथ होता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के निवास सह कैम्प ऑफिस हेतु एक गनमैन की नियुक्त करने बाबत अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ के शासकीय आवास गृह सह कैम्प ऑफिस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार एक गनमैन की ड्यूटी लगाये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 2967-ए / न्या.लिपिक / कोरोना सेल / 2020
प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 30 / मार्च / 2020

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ ।

दिनांक 30/3/2020
BS

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रायगढ़ (छ.ग.)